फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

कमला ———— विपक्षी ———— गोटा

मुकदमा ———— 88, 188 PTAct ———— पत्रावली संख्या 155/08 सन् ————

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की ग...
22/04/22 वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप., नकल के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 09/09/22 को पेश हो । SDO मावली	
9/9/22 वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप., नकल के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 21/10/22 को पेश हो । SDO मावली	
21/10/22 आज दिनांक को बार एसोसियेशन मावली ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.... ....11/11/22..........को पेश हो।	
11/11/22 वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप./ ....नकल.... के लिये मौका चाहते है। अतः.....अंतिम.... अवसर दिया जाकर पत्रावली दि.....09/12/22 को पेश हो। SDO मावली	
09/12/22 वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप./ ....नकल.... के लिये मौका चाहते है। अतः.....अंतिम.... अवसर दिया जाकर पत्रावली दि.....13/01/23 को पेश हो। SDO मावली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 13:52:11 IST
Reason: SelfAttested

13/01/23

दस्तूलाय कारी / प्रतिवादी उप./ तलबी

के लिये मौका .... है। .... अंतिम

अवसर दिया 17/03/23

को पेश हो।

SDO मावली

17/3/23

आज दिनांक को बार एसोसियेशन मावली

ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।

अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक....

....19/5/23........ को पेश हो।

18/04/23

पत्रावली अधिवक्ता वादीगण श्री सुरेश चन्द्र डांगी द्वारा वकालतनामा मय पत्रावली तलबी मय प्रा.पत्र आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. का पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा वादी सं. 1 फौत होने से प्रा.पत्र O22 R3 CPC का पेश किया, सा.फा. रहे। नकल प्रा.पत्र दिलाई गई। अधिवक्ता प्रति. सं. 4, 5, 7 द्वारा प्रा. पत्र पर No objection कर प्रा.पत्र स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः कोई आपत्ति नहीं होने से प्रा.पत्र O22 R3 CPC का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादी सं. 1 के वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। अधि. वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया, सा. फा. रहे। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रा.पत्र O23 R1 CPC आपसी राजीनामा का पेश कर पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से वादीगण का वाद व प्रतिवादी सं. 4 का प्रतिवाद डिग्री किया जाने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामा शामिल फाईल किया गया। अतः वादीगण व प्रति. सं. 4 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से अब इस पत्रावली को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः राजीनामा हो जाने से वादीगण का वाद व प्रति. सं. 4 का प्रतिवाद ...... पर ...... किया जाता है। ...... नम्बर से कम हो। पत्रावली फैसल ......

निर्णय ......

सहायक कलक्टर

(SDO) मावली

वादी 1/1 कि. खंडुबाई

वादी 1/2 कि. धन्नी

किशना वादी 1/3

नाथ वादी 1/4

कैलाश वादी नं. 2

वादी 3 कि मंगली

वादी 4 कि. राधी

प्रति. सं. 4 लक्ष्मी

देऊबाई प्रति. सं. 13

नवही प्रति. सं. 14

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 13:52:11 IST
Reason: SelfAttested